

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 3879 सन् 2026**

अंकुर अस्थाना

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ एवं एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अनुराग त्रिपाठी

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, आलोक कीर्ति

मिश्रा, धर्मेश कुमार द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा**

1. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण याचिका अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा आपराधिक वाद संख्या 6516 वर्ष 2020 अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट, जो विद्वान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 30, सुल्तानपुर के समक्ष लंबित है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27/4/2026 को निरस्त करने और अधीनस्थ न्यायालय को जमानत बहाल करने तथा आदेश दिनांक 15/12/2020 जिसके द्वारा प्रार्थी को उक्त वाद में जमानत पर रिहा किया गया था, के आलोक में प्रार्थी को जमानत पर मानने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अनुशीलन किया।

4. प्रारंभ में ही, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त से नए संस्थित आपराधिक मामले में नई जमानत लेने की अपेक्षा की गई है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती मामले में उसे पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी थी।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपराध जमानतीय प्रकृति का है और प्रार्थी को उक्त आपराधिक मामले में आदेश दिनांक 15/12/2020 द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 6/10/2020 को विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया था, जिसे आदेश दिनांक 18/11/2021 द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता ने आदेश दिनांक 18/11/2021 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 82 वर्ष 2022 दायर किया, जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25/1/2022 के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ किया गया कि विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, सुल्तानपुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 11 वर्ष 2021 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2021 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को एक माह की अवधि के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है और इसका निर्णय पूर्णतः विधि के अनुसार किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25/1/2022 के अनुपालन में, शिकायतकर्ता ने दिनांक 9/2/2022 को एक नई शिकायत दर्ज की। विद्वान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचारण न्यायालय ने उक्त शिकायत पर शिकायतकर्ता को सुना और दिनांक 4/1/2023 को एक नया समन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत विचारण का सामना करने के लिए समन किया।

6. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उक्त आदेश आपराधिक वाद संख्या 13 वर्ष 2022 में पारित किया गया था, क्योंकि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25/1/2022 के अनुपालन में शिकायतकर्ता द्वारा नई शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में, संबंधित न्यायालय को ही ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से, इस मामले की सुनवाई आपराधिक वाद संख्या 6516 वर्ष 2020 में की जा रही है।

7. उन्होंने आगे दलील दी कि एक बार जब अभियुक्त-प्रार्थी को सक्षम न्यायालय द्वारा उसी अपराध के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया था, तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन में शिकायतकर्ता द्वारा मामले को पुनः संस्थित किए जाने पर उस पर नई जमानत के लिए आवेदन करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है। भले ही शिकायतकर्ता द्वारा नया मामला दर्ज किया गया हो, अपराध वही है और संबंधित न्यायालय के पास प्रार्थी से नई जमानत की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में आपराधिक वाद संख्या 9737 वर्ष 2023 में एक शिकायत की सुनवाई की जा रही है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि पूर्ववर्ती मामले और बाद में संस्थित मामले में अपराध और संबंधित चेक समान हैं।

9. अभिलेख के अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न वाद संख्याओं में अलग-अलग आदेश पारित किए गए हैं, हालांकि पक्षकार समान हैं और अपराध भी वही है।

10. चाहे जो भी हो, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जो विचारण न्यायालय को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2022 के अनुपालन में शिकायत वाद के पुनः संस्थापन के बाद अभियुक्त-प्रार्थी से नई जमानत की मांग करने की अनुमति देता हो। इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि मूल आपराधिक वाद संख्या 6516 वर्ष 2020 में पारित जमानत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश दिनांक 15.12.2020 वर्तमान आपराधिक मामले में प्रभावी रहेगा, चाहे इसकी सुनवाई किसी भी आपराधिक वाद संख्या के तहत की जा रही हो, और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रतिभू भी तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि अभियुक्त को जमानत के दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया जाता है, और केवल उसी स्थिति में विचारण न्यायालय उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. उपरोक्त के आलोक में, आक्षेपित आदेश दिनांक 27.4.2026, जिसके द्वारा प्रार्थी से जमानत लेने की अपेक्षा की गई है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। पक्षकारों को मामले की आगे की कार्यवाही के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचारण न्यायालय मामले की सुनवाई में तेजी लाने का हर संभव प्रयास करेगा क्योंकि यह वर्ष 2020 में बहुत पहले दायर किया गया एक पुराना मामला है।

12. तदनुसार, धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

17 जून, 2026

डी०के०/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।